

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 106 / 2023

तारीख रजू :- 3.7.2023

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/248

सतीशचन्द पुत्र ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी दुब्बेपाडा कस्बा हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

--वादी

बनाम

ताराचन्द पुत्र खुबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी दुब्बेपाडा कस्बा हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

--प्रतिवादीगण-03

दिनांक	फर्द अहकाम
3.7.2023	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
<p>जत पेश by 28.7.23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते..... दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील जपठ वादी वकील ने उपजल करण छे वादी प्रकरण जार्ज नहीं चलाना चाहता है। वादी ने उपकरण जे टैम में स्थापित करना चाहा है। जल: मुकदमा 106/23 दावा सतीशचन्द बनाम ताराचन्द नोटिस में स्थापित किया जाता है। पत्रावली प्रेमल कुमार देकर वापर से मसक</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>